तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4229/2005/गंगानगर जंगीरसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रशासन्त सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता।

––

निर्णय

दिनांकः01–04–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 13/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 28–07–2005 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आवंटन अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 एलसीए के मु0न0 2 की 25 बीघा बारानी भूमि का पुख्ता आवंटन किया जावें। उक्त प्रा0 पत्र में वर्णित भूमि तहसील विजयनगर क्षैत्र की होने के कारण प्रार्थना पत्र अति0 कलक्टर, सूरतगढ़ को मुन्तकिल किया गया। प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर अति0 कलक्टर, सूरतगढ़ ने उक्त प्रा0 पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, विजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की तथा अपने आदेश दिनांक 14–12–2001 द्वारा अपीलार्थी का प्रा0 पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–07–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4229/2005/गंगानगर जंगीरसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय प्रदान किए है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों विपरीत व अपना मस्तिष्क का प्रयोग बिना पारित किए है। उनका तर्क था कि अपीलार्थी वर्ष 1981 से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है अगर तर्क के लिए यह मान भी लिया जावें कि विवादित भूमि अपीलार्थी को अस्थाई काश्त हेतु आवंटित नहीं थी तो भी पुराने कब्जा के आधार पर विवादित भूमि का स्थाई आवंटन अपीलार्थी करवाने का पात्र है। अतः न्यायहित में द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें तथा अपीलार्थी का स्थाई आवंटन का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित व विधिसम्मत है, क्योंकि विवादित भूमि अपीलार्थी को कभी भी टी0सी0 पर आवंटिमतत नहीं रही है, ऐसी स्थिति में वह पुख्ता आवंटन करवाने का पात्र नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी ने प्रा0 पत्र इस आधार पर पेश किया कि विवादित भूमि उसे टी0सी पर आवंटित है, अतः विवादित भूमि का उसे पुख्ता आवंटन किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4229/2005/गंगानगर जंगीरसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि तहसीलदार को प्रेषित की गई है उसमें पटवारी ने स्पष्ट अंकित किया है कि जगीरसिंह पुत्र बैलासिंह के नाम मु0न0 2 चक 4 एलसीए का रकबा कभी भी टीसी पर आवंटन नहीं हुआ था प्रार्थी बतौर अतिक्रमी काश्त करता रहा है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि कभी भी अपीलार्थी को आरजी काश्त पर आवंटित नहीं की गई है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्ष में माना कि विवादित भूमि का पुख्ता आवंटन अपीलार्थी करवाने का पात्र नहीं है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित व विधिसम्मत् है। हम योग्य अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते कि उसे पुराने कब्जे के आधार पर पुख्ता आवंटन किया जाना चाहिए था क्योंकि पुख्ता आवंटन के लिए भूमि पूर्व में टीसी पर आवंटित होना एक आवश्यक शर्त है, जो इस मामले में स्पष्टतया अपीलार्थी के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी की द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें तथा निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मोहन लाल नेहरा) सदस्य	